न्यायालय तहसीलदार जसवंततपुरा

मुकदमा नंबर 3 / 2016

राजस्थान सरकार जरिये
पटवारी हल्का गोलाणा

बनाम

गैरसायल
श्री अजीतसिह,पहाडसिह,शेरसिह
पुत्र उकसिह जाति ~~कलबी~~ राजपूत निवासी
~~मजापुरा~~ गोलाणा

निर्णय दिनांकः–7.10.2016

पत्रावली पेश हुई। गैरसायल हाजिर। पत्रावली का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि पटवारी हल्का गोलाणा व निरीक्षक भू.अ. जसवंतपुरा ने रिपोर्ट पेश की कि गैरसायल ने संवत 2073 में मौजा गोलाणा के खसरा नंबर 130 रकबा 0.06 हेक्टर किस्म गै.मु. नाडी में अनाधिकृतरूप से पक्का मकान कर कब्जा किया है। जिस पर गैरसायल को जरिये नोटिस तलब किया गया। गैरसायल नें अपने जबाव में कोई दस्तावेजी साक्ष्य या अन्य कोई सबूत पेश नही किये,जिससे यह साबित होता है कि कि गैरसायल द्वारा सरकारी भूमि पर अनाधिकृतरूप कब्जा कर अतिक्रमण किया है।

अतः राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91(1) के तहत. संवत 2073 में मौजा गोलाणा के खसरा नंबर 293 रकबा 0.29 हेक्टर किस्म गै.मु. नाडी .अतिक्रमी घोषित जाकर भौतिकरूप से बेदखली के आदेश दिये जाते है साथ ही अतिक्रमित रकबे पर भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 (3) तहत का वार्षिक लगान 0.24 का 50 गुणा रू0 12/– अक्षरे बारह रूपये मात्र बतौर जुर्माना आरोपित किया जाता है। निरीक्षक (भू.अ.) जसवंतपुरा ,पटवारी हल्का जसवंतपुरा को भौतिकरूप से बेदखल करने एवं जुर्माना कायमी हेतु लिखा जाये। आदेश सरे इजलास सुनाया गया।

तहसीलदार ,जसवंतपुरा

Scanned by CamScanner